अलवर में अग्निवीर सेना भर्ती की दौड़, 300 पास हुए

अलवर। अलवर में अग्निवीर सेना भर्ती की दौड़ आरआर कॉलेज ग्राउंड पर मंगलवार सुबह 3 बजे से शुरू हो गई। पहले दिन 500 में से 300 अभ्यर्थी दौड़ में पास हुए। करीब 94 प्रतिशत अभ्यर्थी दौड़ में शामिल हुए।

भर्ती में अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, कोटपूतली बहरोड़ व तिजारा-खैरथल जिले के 7 हजार 500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहले दिन 50-50 अभ्यर्थियों के ग्रुप बनाए गए हैं। हर दिन 500 से 600 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यहां फिजिकल व मेडिकल होंगे। भर्ती 22 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद फाइनल मेरिट आएगी।

सेना भर्ती अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि फिजिकल टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को अलग-अलग बैच में बुलाया है। इससे भीड़ नहीं हो और नियमित रूप से दौड़ कराई जाए। दौड़ के बाद अन्य फिजिकल टेस्ट होते हैं। अभ्यर्थियों को रैली स्थल पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड, मूल दस्तावेज और 20 पासपोर्ट साइट फोटो लाने लाने अनिवार्य हैं।

30 जून से 10 जुलाई तक ऑनलाइन लिखित परीक्षा हुई। इसका रिजल्ट 26 जुलाई को आया। उसमें सफल रहे अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में बुलाया गया है।

सेना की जानकारी के अनुसार हर दिन अलवर के आरआर कॉलेज में 500 से 600 अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। सुबह 6 बजे से पहले दौड़ सम्पन्न हो जाएगी। उसके बाद फिजिकल टेस्ट की अन्य गतिविधि होंगी। वैसे रात 12 बजे ही प्रवेश दे दिया जाएगा।

कार्यकर्ताओं के त्याग व समर्पण से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी भाजपा : बादलीवाल

कोटपूतली में भाजपा के जिलाध्यक्ष सुरेश बादलीवाल ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया।

■ भाजपा नगर मंडल कोटपूतली की मंडल स्तरीय कार्यशाला व संगठनात्मक बैठक का आयोजन

कोटपूतली। कस्बा स्थित एक निजी होटल में भाजपा नगर मंडल की मंडल स्तरीय कार्यशाला व संगठनात्मक बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष सुरेश बादलीवाल की अध्यक्षता व जिला प्रभारी सत्यवीर यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ।

बैठक का शुभारम्भ पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्जवलन के साथ हुआ। नगर मंडल अध्यक्ष अरूण सैनी ने सभी पदाधिकारियों का परिचय देते हुये कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के अनुषासन के साथ कार्य करेगें। मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी सत्यवीर यादव ने संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले राष्ट्र एवं फिर विचारधारा के सिद्धांत पर कार्य करने वाली पार्टी हैं। अध्यक्षता करते हुये जिलाध्यक्ष सुरेश बादलीवाल ने संगठन कार्यक्रमों व उत्सवों की जानकारी देते हुये कहा कि कार्यकर्ताओं के त्याग व समर्पण से ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हैं। विधानसभा प्रभारी प्रभू गुर्जर ने कार्यकारिणी को आगामी कार्यकाल की शुभकामनायें दी। सह प्रभारी मीणा ने महिला सशक्तिकरण की बात कही। सभी पदाधिकारियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक को जिला उपाध्यक्ष जयराम सिंह गुर्जर व विनोद सिंह, पूर्व चौयरमैन एड. महेन्द्र सैनी, जिला कार्यालय प्रभारी एड. अशोक सुरेलिया समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने सम्बोधित किया।

किशनगढ़ बास में डंपिंग यार्ड नहीं

किशनगढ़ बास । नगर पालिका के वार्ड 20 के बासड़ा गांव में आबादी के समीप शहर का कूड़ा कचरा ले जाकर डाल रहे नगर पालिका टिपरो को मंगलवार को गांव की महिलाओं ने रास्ता रोक कर कचरा नहीं डालने दिया जिसके चलते कचरे से भरे टिप्परों को वापस लौटना पड़ा। गांव की महिलाओं का आरोप था कि कचरे की बदबू से जीना मुश्किल हो रहा है घर में बच्चे बूढ़े जवान व पशु बीमार हो रहे हैं। नगर पालिका के कचरे से भरे टिप्परों व ट्रैक्टरों को कचरा डालने से रोकने कि यह कोई किशनगढ़ बास में पहली घटना नहीं है, यह सिलसिला किशनगढ़ बास में 10 साल से चला आ रहा है जब से नगर पालिका का गठन हुआ है। बासड़ा गांव से पहले नगर पालिका किशनगढ़ सहित बास कृपाल नगर तहनोली व खैरथल में कचरा डलवा चुकी है।

सैनी के जन्मदिवस पर विभिन्न सेवा कार्य हुए

कोटपूतली। भाजपा नेता व नगर पालिका के पूर्व चैयरमैन रहे एड. महेन्द्र कुमार सैनी का जन्मदिवस भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार 06 अगस्त को हर्षोल्लास से मनाया जायेगा।

इस मौके पर विभिन्न मंदिरों व देवस्थानों पर देवदर्शन कार्यक्रम के साथ-साथ पीएम मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देष पर चलाये जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कांसली के हिरोड़ा स्थित श्री गणेश व बालाजी मंदिर, बानसूर रोड स्थित मण्डी परिसर के शिव मंदिर, श्री नागाजी महाराज मंदिर, तालाब वाले श्री हनुमान मंदिर, ग्राम पूतली स्थित श्री देवनारायण मंदिर, ग्राम सांगटेड़ा स्थित पीला जोहड़ मंदिर एवं ग्राम गोनेड़ा स्थित बाबा सेवा रावत आदि मंदिर में देवदर्शन कर पौधारोपण किया जायेगा।

कस्बा स्थित श्री जयसिंह गौशाला में गौ सेवा के साथ-साथ देवदर्शन व पौधारोपण का आयोजन होगा। वहीं मुख्य चौराहे पर आमजन को पौधों का वितरण भी किया जायेगा।

सहायक आचार्य डॉ. राजेन्द्र कुमार कसाना को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान

कोटपूतली। जयपुर के संविधान क्लब में आयोजित समारोह में कोटपूतली ग्राम कल्याणपुरा खुर्द निवासी राजकीय एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जयपुर के सहायक आचार्य डॉ. राजेन्द्र कुमार कसाना को राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा व जन जागरूकता के क्षेत्र में दिये गये उत्कृष्ठ योगदान के लिये सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, डॉ. रामप्रसाद भड़िया, राष्ट्रीय अध्यक्ष शराबबंदी आंदोलन पूजा छाबडा, अध्यक्ष आरएएस एशोसिएशन महावीर खराड़ी आदि ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य जागरूकता पर केंद्रित मासिक पत्रिका का लोकार्पण किया गया, जिसे चिकित्सा क्षेत्र में सकारात्मक जन-संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आयोजन में ॅम ब्तम डमकपं को भी सामाजिक सरोकारों और स्वास्थ्य जागरूकता में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। संस्थापक श्याम सुंदर गौड द्वारा संबंधित अभियानों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। उन्होंने डॉक्टर्स और हैल्थ प्रोफेशनल्स को एक जुटकर समाज में स्वास्थ्य शिक्षा की एक सशक्त लहर पैदा की है। कार्यक्रम को सफल बनाने में डायरेक्टर संदीप सिंह सरना व उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस राष्ट्रीय स्तर के अवॉर्ड शो में देश भर के उन कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अनूठे अंदाज और सामाजिक योगदान से लाखों दिलों को जोड़ा और भारतीय समाज, संस्कृति एवं ब्रांड कम्युनिकेशन को एक नई दिशा दी।

सामूहिक विवाह सम्मेलन 02 नवंबर को

कोटपूतली। सैनी विकास संगठन (रजि.) की मंगलवार को जिलाध्यक्ष बबलू बबेरवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिसमें 06 वॉं सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 02 नवंबर देवउठनी एकादशी को आयोजित किये जाने को लेकर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। जिसमें प्रधान संरक्षक सेवानिवृत पूर्व उप शिक्षा निदेशक देवीसहाय सैनी, संयोजक रामचंद्र सैनी, संरक्षक रामौतार मिस्त्री, पूरणमल भगत, रामस्वरूप सैनी, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार सैनी, व्यवस्थापक मोनू कुमार सैनी को नियुक्त किया गया। विवाह सम्मेलन के लिये प्रथम परिचय सम्मेलन 10 अगस्त कोटपूतली, द्वितीय 24 अगस्त बानसूर, तृतीय 07 सितंबर नारायणपुर, चतुर्थ 14 सितंबर पावटा, पंचम 21 सितंबर बहरोड बड़ौद व छठा 12 अक्टूबर कोटपूतली में आयोजित किया जायेगा।

बहन सम्मान के लिए दिए मिठाई के पैकेट

कोटपूतली। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बहनों का सुरक्षा-सम्मान पर्व अभियान के तहत ष्आंगनबाडी बहन सम्मान दिवसष के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटपूतली के सभागार में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुडे रहे। इस दौरान एसडीएम कोटपुतली बृजेश चौधरी, आयुक्त नगर परिषद धर्मपाल जाट, उप निदेशक आईसीडीएस सतपाल यादव, जिला शिक्षा अधिकारी रामसिंह यादव, एसीपी डी ओ आईटी सुनील मीणा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं बडी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मौजूद रही।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा प्रदेश सहित जिले की करीब 2 हजार 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से 501 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। साथ ही बहन सम्मान के रूप में उन्हें छाते और मिठाई के पैकेट भी भेंट किए गए साथ ही सभी को पोषण की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जिला कलेक्टर ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। उन्होंने समाज निर्माण में महिलाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला प्रशासन के सभी कार्यों में सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। एसडीएम ने कहा कि मां के गर्भधारण से लेकर बच्चे के विद्यालय जाने तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का योगदान अमूल्य है। कठिन परिस्थितियों में भी वे पूर्ण समर्पण और तन्मयता के साथ कार्य करती हैं।

सांभर में नकबजनी के तीन आरोपी गिरफ्तार

जोबनेर थाना अधिकारी सुहेल खान के नेतृत्व में गठित टीम ने नकबजली के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

सांभरझील, (निसं)। नकबजनी की वारदात करने के मामले में जोबनेर थाना अधिकारी सुहेल खान के नेतृत्व में गठित टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में राजेश कुमार पुत्र नवल किशोर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बोबास पुलिस थाना जोबनेर जिला जयपुर मय अन्य ठाामीणों ने गली वाले बालाजी मंदिर बोबास में हुई चोरी के संबंध में एक रिपोर्ट इस आश्य की पेश की कि दिनाक 27 जुलाई की रात्रि को गली वाले बालाजी मंदिर बोबास में अज्ञात चोर सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, दानपात्र व नकदी चोरी करके ले गये हैं। प्रकरण में नकबजनी करने वाले आरोपियों काना उर्फ नान्च्या बावरिया, जगदीश बावरिया व नानुराम उर्फ जीतु बावरिया को डिटेन कर पूछताछ की तो आरोपियों ने चोरी की वारदात करना स्वीकार किया जिस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका पीसी रिमाण्ड प्राप्त कर माल बरामदगी के प्रयास व अनुसंधान जारी है।

खोया पाया

मेरे भूखण्ड संख्या 27 म्यूचअल हाउसिंग सोसायटी स्कीम नं. 3 जमना कॉलोनी के मूल दस्तावेज सोसायटी का आवंटन पत्र, रसीद साईड प्लान कहीं खों गये है सूचित करें ग्यारसी लाल महेश कुमार-9829200729

मैं विजय प्रकाश शर्मा पुत्र एच.पी. शर्मा निवासी प्लाट नं. 9 शिवपुरी कॉलोनी न्यू सांगानेर रोड जयपुर मेरे प्लाट नं. 149 योजना पिंकसिटी एनक्लेव जगतपुरा के मूल कागजात जेडीए पट्टा, साइटप्लान एवं स्टाम्प कहीं गुम हो गए है मिलने पर सूचित करें। मो. 9314004448

1997 में RHB से लिए मेरे खरीदशुदा प्लाट नं. 3/299 मालवीय नगर की असल कन्वेन्स डीड रजि. नं. 516 है, जो गोविन्द नगर क्षेत्र में 20 मई 2025 को कही गुम हो गई, मिलने पर सूचित करें। विजय लक्ष्मी टांक पत्नि मुकेश निवासी 27, मनु मार्ग गोविन्द नगर (पश्चिम), जयपुर-9929360081

आवास संख्या 91/175 का मूल आवंटन पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें-राजेश छुगानी मो. 9829713356

आवास संख्या 121/189 का मूल आवंटन पत्र व कार्यालय आदेश क्रमांक 3361 दिनांक 24.01.2014 गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें-आशा दवी शर्मा मो. 707303885

नम्बर मिलाइए
9587884433

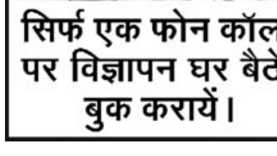

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/जोन-2/2025/डी-1143 दिनांक-09.08.2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री बसंत कुमार अग्रवाल एवं श्री तेजप्रकाश अग्रवाल पुत्रान श्री ओमप्रकाश अग्रवाल द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना दौलत विहार स्कीम नं. 10-सी के भूखण्ड संख्या-6 का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन क्रमांक 199330 द्वारा निवेदन किया गया है।
उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 06.11.2009 को श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल पत्नी श्री ओमप्रकाश अग्रवाल को जारी की गई, जो उप पंजीयक जयपुर-तृतीय के यहां पंजीबद्ध है। लीजधारिका श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल द्वारा अपने जीवन काल में लिखी रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 15.07.2019 को श्री बसंत कुमार अग्रवाल एवं श्री तेजप्रकाश अग्रवाल पुत्रान श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित की गई, लीजधारिका श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 13.11.2019 को हो चुकी है। श्री ओम प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिनांक 14.02.2022 को रजिस्टर्ड संशोधन पत्र के द्वारा उक्त वसीयत के पेज नं. 3 के पॉइन्ट नं. क में टाईप की त्रुटिवश "के आवासीय भवन-6, बालनिकुंज कॉलोनी जयपुर में है" अंकन हो गया है, जबकि इसके स्थान पर एक आवासीय भवन संख्या 6 जो बंधु गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना दौलत विहार, जयपुर में है" का संशोधन करवाया गया है। श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल एवं श्रीमती सुमनलता अग्रवाल पुत्रीयां श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल द्वारा आवेदकगण श्री बसंत कुमार अग्रवाल एवं श्री तेजप्रकाश अग्रवाल पुत्रान श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के हक में हकत्याग दिनांक 04.12.2024 (रजिस्टर्ड) किया गया है। आवेदकगण द्वारा हकत्याग, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रस्तुत कर लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये है।
इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कमरा नम्बर पीडी-एसएफ-205, द्वितीय तल, पार्किंग स्थल, जयपुर में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद मियाद आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जावेगा। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
उपायुक्त, जोन-2, जविप्रा, जयपुर

तीये की बैठक

हमारे पूजनीय पिताजी
श्री मुरलीधर जी गुर्जर
का आकस्मिक निधन दिनांक 04.08.2025 को हो गया है। तीये की बैठक 06.08.2025 को सायं 4 से 5 बजे तक कम्यूनिटी सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्याल कैम्पस, जयपुर पर होगी।
शोकाकुल- छोटूलाल, राजू लाल (पुत्र), कुलदीप, सोनू (पौत्र) एवं समस्त कुराच परिवार।
मो. 9660686167, 9649588905

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री गिरधारीलाल यादव पुत्र एल.एस. यादव मो. 9314802101 बहैसियत मुख्यतारनामा के आधार पर प्लाट संख्या एस बी 49 सुभाष नगर का दक्षिणी भाग जयपुर में स्थित है। उक्त प्लाट का कोई व्यक्ति संस्थान आदि क्रय विक्रय करता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं का होगा।
जयपुर (कु. हरेन्द्र सिंह) एडवोकेट
दिनांक-5.8.2025 मो. 9414056746

आम सूचना सूचित किया जाता है कि प्लॉट नंबर 104, स्कीम शांतिनगर, अजमेर रोड, जयपुर, राज. क्षेत्रफल 415.49 वर्ग गज. के स्वामीत्वाधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निष्पादित पंजीकृत पट्टा-विलेख क्र. सं. 1073/2000, दिनांक 21.03.2000 के माध्यम से श्री महेन्द्र कुमार मित्तल पुत्र श्री रामेश्वर दयाल मित्तल को प्राप्त हुए हैं। श्री महेन्द्र कुमार मित्तल पुत्र श्री रामेश्वर दयाल मित्तल का स्वर्गवास दिनांक 06.10.2024 को हुआ। श्री महेन्द्र कुमार मित्तल के स्वर्गवास के पश्चात दीपक मित्तल, अभिषेक मित्तल (पुत्र) एवम् श्रीमती किरण देवी (पत्नी) मात्र विधिक वारिस बताए गए हैं। उनके विधिक वारिस दीपक मित्तल और अभिषेक मित्तल द्वारा निष्पादित पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 05.08.2025 के माध्यम से उक्त संपत्ति के स्वामीत्वाधिकार श्रीमती किरण देवी को प्राप्त हुए। उक्त सम्पत्ति को मेरी अभिभाष्या ऋणदात्री संस्था Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. से वर्तमान स्वामी श्रीमती किरण देवी रहन रख कर ऋण प्राप्त कर रही है, उक्त सम्पति स्वामित्व एवंम Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. से लिया जा रहे ऋण बाबत किसी भी व्यक्ति/ संस्था/ बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप है तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अंदर मियाद 7 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित संपर्क करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जायगी।
दिनांक- 06.08.2025 विनोद प्रधान, एडवोकेट
AD/5-B, प्रथम तल, देवी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर मो. 7891181515

कार्यालय नगर परिषद, किशनगढ़ जिला-अजमेर (राज)

क्रमांक/नपकि/विकास/2025/1519 दिनांक 01.08.2025

ई-निविदा सूचना संख्या - 13/2025-2026

नगर परिषद किशनगढ की ओर से नगर परिषद किशनगढ एवं राजकीय विभाग में नियमानुसार निर्धारित श्रेणी सिविल कार्यो में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्रों में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से ऑन लाईन निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 04.08.2025 को 09:00 एम से तथा प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक 14.08.2025 को 06:00 पीएम तक एवं निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in/ व https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती है।
यूबीएन नं. DLB2526A4278
आयुक्त
राज.संवाद/सी/25/7599 नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 29/2025
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री बुद्धराम पुत्र स्व. श्री खचेडू उर्फ फूल सिंह निवासी ग्राम मिलकपुर गुर्जर निवासी तहसील टपूकड़ा जिला खैरथल तिजारा, राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत ट्रस्ट बाबा मोहनराम जी काली खोली वाला मिलकपुर गुर्जर, भिवाडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा द्वारा पूर्व प्रन्यासी श्री खचेडू उर्फ फूलसिंह का देहान्त होने के कारण उनके स्थान पर नवीन प्रन्यासी श्री बुद्धराम पुत्र खचेडू उर्फ फूलसिंह का नाम दर्ज अभिलेख किये जाने हेतु जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है। अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 09.09.2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैं जीतू कंवर पत्नी संख्या 16018744W हवलदार हिम्मत सिंह निवासी गांव/पी.ओ-जाबनेर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राजस्थान-303528 ने अपना नाम और जन्मतिथि जीत कंवर (14.04.1987) से बदलकर जीतू कंवर (14.03.1986) रख लिया है शपथ पत्र संख्या IN-RJ15809864753712X और IN-RJ 15809363961911X दिनांक 04.07.2025 को न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत किया गया।

मैं आर्मी नं. JC473710N नायब सूबेदार रमेश सिंह राजपूत यूनिट 17 राजरिफ (सवाईमान) है। मेरे सैन्य दस्तावेजों में मेरी पत्नी का नाम साधना देवी (SADHNA DEVI) और जन्मदिनांक 01.05.1991 है जो कि गलत है मेरी पत्नी का सही नाम साधना सिंह राजपूत (SADHNA SINGH RAJPUT) और जन्म दिनांक 31.08.1990 है।

मैंने अपना नाम इरफान से बदलकर इरफान खान पुत्र श्री इकबाल निवासी 21 बडली की ढाणी, खो नागोरियान, जामडोली, लूनियावास, जयपुर रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें।

मैं, अर्जुन सिंह राठौड पुत्र श्री भेरू सिंह निवासी गाँव बम्बू, तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)। मैंने अपना नाम अर्जुन सिंह से बदलकर अर्जुन सिंह राठौड कर लिया है। भविष्य में मुझे अर्जुन सिंह राठौड के नाम से जाना जाएगा।

मैं निशु बैरवा के शिक्षा, कुछ अन्य दस्तावेजों में नाम नोसर चमार, नोसर कुमारी चमार, निशु बैरवा अंकित है जो मेरे है मैंने अपना नाम निशु बैरवा पुत्री भोलीराम बैरवा रख लिया है भविष्य में मुझे निशु बैरवा नाम से जाना जाए, गांव उचनार खुर्द पोस्ट उचनार, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षेत्र निर्वाी (न.पा.नि.) (जिला-टोंक)

क्रमांक-का.प्रा.अधि.न.क्षे.नि./कृ.भू./2025-26/5946 दिनांक-05.08.2025
प्ररूप-10 (नियम 6(7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका निवाई
लोक-सूचना
श्री/श्रीमति अर्पित जैन पुत्र ताराचन्द जैन निवासी बंसत विहार कॉलोनी निवाई, टोंक राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक से (कृषि आधारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि क अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्र
1	कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक	निवाई	5703/2564	कुल कीता-01, रकबा 0.2339 हैक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 05.08.2025 को जारी की गयी।
(मनोहर लाल जाट) प्राधिकृत अधिकारी, नगरीय क्षैत्र निवाई

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर

क्रमांक :- ननिको(उ)/गैरिज/2025/1293-1309 दिनांक 01.08.2025

E.O.I. सूचना

नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा अधिकारियों/कार्मिकों हेतु कार्यालय कार्य हेतु नगर निगम कोटा क्षेत्र की सीमा में टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने हेतु वित्त विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक F.2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 03.10.2023 के अनुसार दर 28900/-प्रति माह प्रति वाहन (1500 कि0मी0 तक) पर EOI आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा EOI की शर्ते ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, www.kotamc.org पर ऑनलाईन EOI आमंत्रित की जाती हैं।
अनुमानित राशि :- 109.24 लाख
U.B.N. No.- DLB2526WSRC13322
NIC NO. DLB2526A4225
उपायुक्त
राज.संवाद/सी/25/7533 नगर निगम कोटा उत्तर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय समक्ष न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश क्रम.1 जयपुर महानगर
नीना शर्मा उर्फ कोमल विरूद्ध उमेश शर्मा
वाद/प्रार्थना पत्र 13HMA
प्रार्थना पत्र संख्या- 1648/2024
नाम उमेश शर्मा पुत्र स्व. श्री सूर्यनारायण, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी प्लाट नम्बर 18, मुरली नगर माताजी के मंदिर के पास, पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर (राज.) मो.नं. 9950173137
उक्त नीना शर्मा उर्फ कोमल ...ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि- ....नकल संलग्न है...
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 05 माह 09 सन् 2025 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 11 माह 07 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत — आज्ञा से-वरिष्ठ मुन्सरिम पारिवारिक न्यायालय क्रम-1 जयपुर महानगर प्रथम

कार्यालय नगर परिषद, किशनगढ़ जिला -अजमेर (राज.)

क्रमांक/नपकि/स्टोर/2025/13 दिनांक 02.08.25

ई-निविदा सूचना संख्या - 01-02/2025-2026

नगर परिषद किशनगढ की ओर से नगर परिषद किशनगढ एवं राजकीय विभाग में नियमानुसार निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्रों में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से नगर परिषद किशनगढ़ मे नक्शा पायलेट परियोजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य (20 सर्वेक्षण दल) हेतु सर्वेयर, हेल्पर एवं वाहन मय चालक उपलब्ध करवाने संबंधित कार्य हेतु ऑन लाईन निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 04/08/2025 को प्रातः 09.00 बजे से तथा प्राप्त करने की दिनांक 14/08/2025 को दोपहर 12.00 बजे तक एवं निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in/ व https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती है।
यूबीएन नं. DLB2526A4272
DLB2526A4273
सभापति — नगर परिषद, किशनगढ़ | आयुक्त — नगर परिषद, किशनगढ़
राज.संवाद/सी/25/7496

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 19 जयपुर महानगर चाकसू, प्रथम
मोनू चौधरी विरूद्ध आम जनता
वाद प्रार्थना पत्र सुरेन्द्र सिंह पुत्र हरिनारायण जाट निवासी जैन मंदिर, गोनेर रोड़, बाडा पदमपुरा तह. चाकसू जयपुर को मृत घोषित किये जाने
प्रार्थना पत्र संख्या 121 सन् 2025
नाम..................पुत्र..............जाति..............
पता आम जनता उक्त ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि ....
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 07 माह 8 सन् 2025 को ..... पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रुप से किया जावेगा।
यह आज ता. 31 माह 7 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 19, जयपुर महानगर, प्रथम, चाकसू

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) जयपुर
संतोश देवी बनाम ज्याना देवी व अन्य
वाद/प्रार्थना अस्थाई निशेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र संख्या 76/2024 सन्
2810 2811 2812
24.07.2025
1. सीमा शर्मा पुत्री स्व. हनुमान सहाय शर्मा पत्नि श्री रामस्वरुप शर्मा, निवासी बन्दावला की ढाणी, मौरिजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राज.
2. विमला देवी पुत्री स्व. हनुमान सहाय शर्मा पत्नि श्री बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम नृहसिंपुरा उर्फ दादिया पोस्ट ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज.
3. मंजू देवी पुत्री स्व. हनुमान सहाय शर्मा, पत्नि श्री लालचंद शर्मा निवासी ऊटों का बाढ़, चावण्ड का मण्ड, सायपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 08 माह 8 सन् 2025 को 10:00 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जावेगा।
यह आज ता. 24 माह 7 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली (राज.)

क्रमांक:-व-15()सामा./घोडा/2024-25/7577-88 दिनांक: 4.08.2025

खुली निविदा सूचना

इस कार्यालय के निविदा क्रमांक 6891-6930 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिला जिला पुलिस करौली के घुडसवार शाखा पुलिस लाईन करौली के सरकारी घोडो 06 हेतु सूखा घास 180 क्विंटल (वर्ष 2025-26 के लिए) क्रय करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिये दरें अनुमोदित किये जाने हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गई थी। जिसमें दिनांक 30.07.2025 को कोई भी निविदा दाता ने अपनी निविदा प्रस्तत नहीं की है। अत: पुन: उक्त निविदाऐं दिनांक 14.08.2025 को 2.00 PM तक स्वीकार की जा कर उसी दिनांक 14.08.2025 को 3.00 बजे समस्त निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.सं.	नाम सामान/कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा फार्म शुल्क	निविदा खोलने की तिथि
1	सूखा घास	3,00,000	6,000/-	200/-	14.08.2025

शर्तें:- 1. निविदा फार्म व शर्ते दिनांक 14.08.2025 तक कार्यालय समय में 01.00 पी.एम. तक 200/- रूपये का डी.डी./नकद/पोस्टल आर्डर जमा करवाकर कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।
2. सभी दरें समस्त प्रकार के करों सहित होनी चाहिए।
3. सशर्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. सूखा घास की आपूर्ति पुलिस लाईन करौली में करनी होगी।
5. निविदा दाता फर्म रजिस्टर्ड होना अनिवार्य हैं।
6. मांग के अनुसार नियत समय पर सूखा घास की पूर्ति की जावेगी।
7. सूखा घास की गुणवत्ता उच्च कोटि की होगी जिसकी जांच करवायी जाकर एवं इस कार्यालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा गुणवत्ता एवं मापतौल की रिपोर्ट के आधार पर राशि का भुगतान किया जावेगा।

जिला पुलिस अधीक्षक
करौली

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

CAD सर्किल के पास कोटा
फोन नं. 0744-2500539, वेबसाइट : Lsg.rajasthan.gov.in/uitkota
एफ 11/नीलामी/2025/8176 दिनांक 05.08.2025

ई-ऑक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का अवसर

प्राधिकरण द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना में (कोटा विश्वविद्यालय दक्षिण के में स्थित) ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड संख्या:-02 कॉर्नर को नीलाम किया जा रहा है। जो कि मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना की 36 मीटर चौडी सड़क पर एवं नंदग्राम धाम के पीछे स्थित है। ई-ऑक्शन का आरम्भ दिनांक 25.08.2025 प्रात: 11.00 बजे से शुरु होगा तथा दिनांक 27.08.2025 को दोपहर 02.00 बजे समाप्त हो जायेगा (अन्तिम 5 मिनट में स्वत: बोली विस्तार नहीं होने की स्थिति में) नियम/शर्ते एवं अन्य जानकारी Lsg.rajasthan.gov.in/uitkota एवं udhonline.rajasthan.gov.in/ कार्यालय समय में प्राधिकरण में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। फोन नं. 0744-2500539/ (Helpline For Online Support-01412560211) पर सम्पर्क करें।

मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना में (कोटा विश्वविद्यालय दक्षिण के में स्थित) ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड संख्या:-02 कॉर्नर
क्षेत्रफल:-8034.60 वर्गमीटर
प्रारम्भिक नीलामी दर-13000/-प्र.व.मी.
आरक्षित दर-12000/-प्र.व.मी.
धरोहर राशि-2089000/-

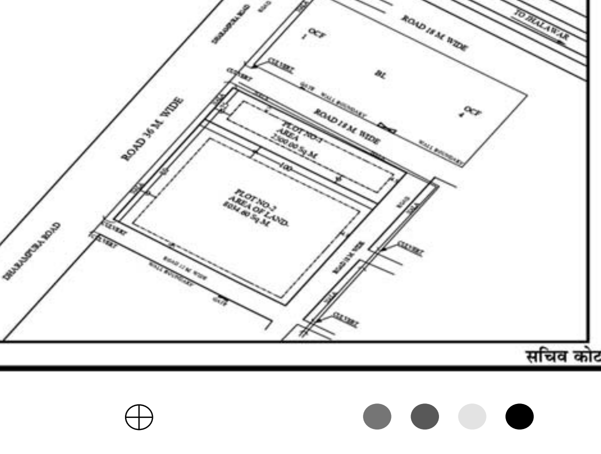

सचिव कोटा विकास प्राधिकरण